FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः—अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

सरकार बनाम शिव नारायण पोरवाल

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर :— 1 /2026

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006

2026/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.2.2026	प्रार्थी सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(2) एफ.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्राथी को नोटिस जारी कर तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 20.2.2026 को पेश हो। अति0 जिला कलेक्टर कोटा	नोटिस 242 5/2/2026
20/2/26	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी द्वारा जाप वकील जवाब पेश किया। प्रकरण जवाब के अप्रार्थी द्वारा बाजार से क्रय किया शुद्ध वनस्पति के घाम के लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा जान बूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः अतः कार्यवाही समाप्त करने के आदेश पारित फरमावे। परिवाद के अंकित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न उत्तरजात एवं रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा आमजन में उपयोग की बूंदी के लड्डू (बेसन, चीनी, फूड कलर व वनस्पति से बने) का बिक्री करना पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्धनजर रखते हुए अप्रार्थी के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार कर भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। अतः अभी शिक्षादण्ड	

xxx पोरवाल डी० जगन्नाथ पोरवाल खाद्य कारोबारी एवं प्रोपराईटर मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार, बाजार नं. 6 रामगंजमण्डी, कोटा (राज०) पर 20,000/- अक्षरे बीस हजार रुपये शास्ती आरोपित कि जाती है। अपार्थी शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति आवेदक एवं संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावे। पालनार्थ अग्रेतर को कम की जाकर फाइल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

कोशियर
कार्यालय जिला कलेक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)